



7 June, 2023

मैन्युअल स्कैवेजिंग

संदर्भ : केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, देश के 766 जिलों में से केवल 508 को आधिकारिक तौर पर मैला ढोने (Manual Scavenging) से मुक्त घोषित किया गया है।

हाथ से मैला ढोना (Manual Scavenging) क्या है?

- मैन्युअल स्कैवेजिंग को सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने के साथ-साथ सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर की सफाई के रूप में परिभाषित किया गया है।
- हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत में हाथ से मैन्युअल स्कैवेजिंग रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम किसी भी व्यक्ति को मानव मल को हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटाने या किसी भी तरीके से उसके उचित निपटान तक प्रतिबंधित करता है।
- मैन्युअल स्कैवेजिंग को अधिनियम के तहत "अमानवीय प्रथा" के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- पिछले दो वर्षों में, मंत्रालय ने संसद सत्र के दौरान देश में मैला ढोने से होने वाली मौतों से लगातार इनकार किया है।
- मौतों के लिए सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के खतरे को जिम्मेदार ठहराया गया था।
- मंत्रालय मैन्युअल स्कैवेजिंग और सीवर की खतरनाक सफाई के बीच अंतर करता है, और पश्चात्कथित को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

मैला ढोने (Manual Scavenging) के संबंध में सरकार के प्रयास और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

➤ सफाई कर्मचारियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020:

- बिल सीवर सफाई के पूर्ण मशीनीकरण का प्रस्ताव करता है और श्रमिकों के लिए ऑन-साइट सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मैला ढोने वालों के लिए मुआवजे का सुझाव देता है।
- इसका उद्देश्य हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में संशोधन करना है।
- बिल को फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।

➤ अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण और रखरखाव अधिनियम, 2013:

- यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव और सफाई के लिए मैला ढोने वालों को काम पर रखने पर रोक लगाता है।
- यह मैन्युअल स्कैवेजिंग समुदायों को वैकल्पिक नौकरियां और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी देता है।

➤ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:

- 1989 का अत्याचार निवारण अधिनियम सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को।
- यह मैला ढोने वालों को उनके पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

➤ सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस चुनौती का उद्देश्य सीवर की सफाई को यंत्रीकृत बनाना है।
- इसमें राज्यों को उन आपात स्थितियों के लिए उचित गियर और ऑक्सीजन टैंक उपलब्ध कराने का प्रावधान है जहां सीवर लाइनों में मानव प्रवेश अपरिहार्य है।

➤ स्वच्छता अभियान ऐप:

- ऐप को अस्वच्छ शौचालयों और मैला ढोने वालों की पहचान करने और जियोटैग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों से बदलना और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना है।

➤ यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (नमस्ते):

- नमस्ते योजना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है।

➤ सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- 2014 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में सरकार को 1993 से सीवेज के काम में मारे गए व्यक्तियों की पहचान करने और उनके परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

Face to Face Centres





7 June, 2023

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

संदर्भ: प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

- भारत में यह, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- 2018 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि प्रत्येक 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- यह खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, पता लगाने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए 7 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम - 'खाद्य मानक जीवन बचाते हैं'
- यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि सुरक्षित भोजन के उत्पादन और खपत से लोगों, ग्रह और अर्थव्यवस्था को तत्काल और दीर्घकालिक लाभ होते हैं।
- यूरेशिया से परे खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान, खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, पता लगाने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए ध्यान आकर्षित करना और कार्रवाई को प्रेरित करना है।

खाद्य सुरक्षा के लिए पहल

विश्व स्तर पर:

- कोडेक्स एलिमेंटेरियस, जिसे "फूड कोड" के रूप में भी जाना जाता है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा अपनाए गए मानकों, दिशानिर्देशों और अभ्यास के कोड का एक संग्रह है।
- आयोग एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसमें 188 सदस्य देशों और एक सदस्य संगठन (यूरोपीय संघ) के साथ संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) शामिल हैं।
- 1963 से, कोडेक्स ने सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को स्थापित करने के लिए काम किया है जो उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और उचित व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करते हैं।

भारतीय पहल:

FSSAI द्वारा दिसंबर 2017 में "सेव फूड, शेयर फूड, शेयर जॉय" लॉन्च किया गया था।

- इसका उद्देश्य भारत में उपभोक्ताओं और खाद्य व्यवसायों के बीच भोजन के बंटवारे को बढ़ावा देना है और खाद्य संग्रह भागीदारों के सहयोग से भूख, भोजन की हानि और भोजन की बर्बादी के मुद्दों को संबोधित करना है।
- ईट राइट इंडिया मूवमेंट को जुलाई 2018 में FSSAI द्वारा "सही" टैगलाइन के साथ लॉन्च किया गया था भोजन। बेहतर जीवना।
- यह भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए नकारात्मक पोषण प्रवृत्तियों से निपटने पर केंद्रित है।
- लोगों और ग्रह दोनों के लिए भोजन सुरक्षित और स्वस्थ है यह सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन नियमों, क्षमता निर्माण, सहयोग और सशक्तिकरण के संयोजन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है।

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक:

- FSSAI ने विभिन्न खाद्य सुरक्षा मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित किया है।
- सूचकांक मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, और उपभोक्ता अधिकारिता को मापता है।
- यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा का आकलन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल प्रदान करता है।

ईट राइट मेला:

- नई दिल्ली में FSSAI मुख्यालय वार्षिक ईट राइट मेले का आयोजन करता है।
- यह एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है जिसे भोजन के सही विकल्प बनाने के बारे में नागरिकों को शामिल करने और शिक्षित करने के लिए इंफोटेनमेंट मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है।
- मेला सुरक्षित भोजन प्रथाओं, स्वस्थ आहार, मिलावट के लिए परीक्षण, विशेषज्ञ आहार सलाह, सरकारी कार्यक्रमों और पहलों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

- यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है, जो अब तक खाद्य संबंधी मुद्दों को संभालने वाले विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित करता है।
- यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम करता है।
- लक्ष्य:
 - खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संदर्भ बिंदु स्थापित करना।
 - मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करना और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना।

Face to Face Centres





DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

DAILY pre PARE

Current affairs summary for prelims

7 June, 2023

WHO के ड्राफ्ट महामारी उपकरण और रोगाणुरोधी प्रतिरोध

संदर्भ: महामारी साधन (Pandemic Instrument) की सबसे हालिया पुनरावृत्ति, जिसे आमतौर पर "महामारी संधि" के रूप में जाना जाता है, विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान सदस्य देशों को वितरित की गई थी।

महामारी संधि

- विश्व स्वास्थ्य सभा के समझौते के बाद दिसंबर 2021 में महामारी साधन के लिए मसौदा तैयार करने और बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई।
- साधन (Instrument) का उद्देश्य डब्ल्यूएचओ संविधान के अनुसार भविष्य की महामारी आपात स्थितियों से राष्ट्रों और समुदायों की रक्षा करना है।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर ग्लोबल लीडर्स ग्रुप सहित सामाजिक संगठनों और प्रमुख विशेषज्ञों ने इंस्ट्रूमेंट में एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को शामिल करने की वकालत की है।
- जबकि मुख्य रूप से COVID-19 जैसी महामारियों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अतीत या भविष्य में सभी महामारियां वायरस के कारण नहीं होंगी।
- प्लेग और हैजा जैसे जीवाणु रोगों के कारण होने वाली ऐतिहासिक महामारियां बैक्टीरिया या अन्य रोगाणुओं के कारण होने वाली भविष्य की महामारियों की संभावना को उजागर करती हैं।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) सूक्ष्मजीवों की संक्रमण का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली रोगाणुरोधी दवाओं के प्रभावों का विरोध करने की क्षमता को संदर्भित करता है।
- AMR संक्रमण के इलाज में कठिनाइयों का कारण बनता है, बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है और गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) AMR को शीर्ष दस वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक मानता है।
- रोगाणुरोधी दवाओं के प्रतिरोध को विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को अक्सर "सुपरबग" कहा जाता है।
- भारत में प्रति वर्ष 56,000 से अधिक नवजातों की मृत्यु प्रथम-पंक्ति एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी जीवों के कारण होने वाले सेप्सिस के कारण होती है।
- अस्पतालों ने COVID-19 रोगियों के लिए 50-60% की मृत्यु दर की सूचना दी है जो दवा प्रतिरोधी संक्रमण प्राप्त करते हैं।
- नई दिल्ली मेटलो-बीटा-लैक्टामेज-1 (NDM-1), एक बहु-दवा प्रतिरोध निर्धारक, इस क्षेत्र में उभरा।
- बहु-दवा प्रतिरोधी टाइफाइड दक्षिण एशिया से उत्पन्न हो रहा है जिसने अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों को प्रभावित किया है।



REDUCING ANTIMICROBIAL RESISTANCE

NEWS IN BETWEEN THE LINES

चीन और रूस द्वारा संयुक्त हवाई गश्त



संदर्भ:

हाल ही में, चीन और रूस ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर पर संयुक्त वायु सेना गश्त का आयोजन किया।

मुख्य विशेषताएं:

- **संयुक्त वायु गश्त:** चीन और रूस ने अपनी वार्षिक सैन्य सहयोग योजना के अनुसार अपना छठा संयुक्त हवाई गश्त किया।
- **भौगोलिक दायरा:** गश्त जापान, कोरियाई प्रायद्वीप और ताइवान की सीमा से लगे पानी पर हुई। इस भौगोलिक निकटता ने पड़ोसी देशों के बीच चिंता बढ़ा दी।
- **दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया:** दक्षिण कोरिया ने पुष्टि की है कि चार रूसी और चार चीनी सैन्य विमानों ने उसके वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) में प्रवेश किया था। प्रतिक्रिया के रूप में, दक्षिण कोरिया ने लड़ाकू विमानों को तैनात किया और संभावित आपात स्थितियों की तैयारी में सामरिक कदम उठाए।
- **वायु रक्षा पहचान क्षेत्र:** वायु रक्षा पहचान क्षेत्र देश के हवाई क्षेत्र से परे एक क्षेत्र है, जो सुरक्षा कारणों से निगरानी और नियंत्रण करने का प्रयास करता है। हालाँकि, इस अवधारणा को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR:** 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR:** 9205274743 | **UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:** 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW (ALIGANJ):** 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW (GOMTI NAGAR):** 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA:** 9205336037, 38 | **KANPUR:** 7887003962, 7897003962 | **GORAKHPUR:** 7080847474, 9161947474 | **ODISHA BHUBANESWAR:** 9818244644/7656949029



dhyeyaias.com



DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE

Current affairs summary for prelims

7 June, 2023

स्वदेशी हैवीवेट टॉरपीडो का सफल परीक्षण



संदर्भ: भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित भारी वजन वाले टारपीडो वरुणाख का सफल परीक्षण किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- वरुणाख रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के तहत विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित एक स्वदेशी हैवीवेट टारपीडो है।
- भारतीय नौसेना ने वरुणाख का परीक्षण किया, जिसने पनडुब्बी रोधी हथियार के रूप में इसकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। टारपीडो ने लक्ष्य को लाइव वारहेड से मारकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
- व्यापक परीक्षणों के बाद, वरुणाख को शामिल करना शुरू हो गया है और यह सभी नौसैनिक युद्धपोतों के लिए प्राथमिक पनडुब्बी रोधी टारपीडो बनने के लिए तैयार है। यह भारी वजन वाले टारपीडो से लैस जहाजों पर पुराने टारपीडो की जगह लेगा।
- वरुणाख का सफल विकास और प्रवेश पनडुब्बी के खतरों का मुकाबला करने के लिए एक उन्नत और स्वदेशी समाधान प्रदान करके भारत की नौसैनिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है।

वन धन विकास केंद्र



संदर्भ: ओडिशा के कंधमाल जिले में आदिवासी महिलाओं ने वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से महुआ के फूलों को आजीविका के स्रोत में बदलने का तरीका खोज लिया है।

आदिवासी महिलाओं की पहल:

- ओडिशा के कंधमाल जिले में वन धन विकास केंद्रों की लगभग 120 आदिवासी महिलाएं महुआ के फूलों का उपयोग करके लड्डू, केक, जैम, टॉफी, अचार, स्कवैश, पकौड़े और बिस्कुट तैयार करती हैं।
- इन उत्पादों को बनाने का तरीका जानने के लिए महिलाओं ने महाराष्ट्र में प्रशिक्षण में भाग लिया था।

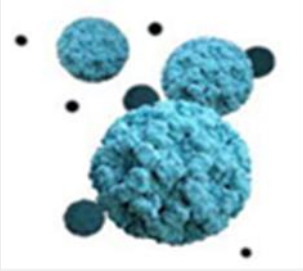
रोजगार के अवसर:

- इस पहल का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं को महुआ के फूलों से मूल्यवर्धित व्यंजन बनाने में सक्षम बनाकर उन्हें लाभकारी रोजगार प्रदान करना है।
- जिला प्रशासन जिले की लगभग सभी आदिवासी महिलाओं को ऐसे उत्पाद बनाने के कौशल से लैस करने की योजना बना रहा है।

आर्थिक महत्व:

- महुआ फूल संग्रह ओडिशा में गरीब जनजातीय आबादी के लिए रोजगार के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह प्रति वर्ष लगभग 25-30 दिनों का रोजगार प्रदान करता है।
- महुआ के फूल चीनी, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी सहित पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

नोरोवायरस



संदर्भ: सेलिब्रिटी समिट की हालिया यात्रा में नोरोवायरस का प्रकोप देखा गया, जिसमें कई चालक दल के सदस्य और यात्री संक्रमण के लक्षणों का अनुभव कर रहे थे।

नोरोवायरस क्या है?

नोरोवायरस एक आम और अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो मतली, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण पैदा करने के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर "पेट फ्लू" या "शीतकालीन उल्टी बग" के रूप में जाना जाता है। इससे सभी उम्र के लोग संक्रमित हो सकते हैं तथा वायरस तेजी से लोगों तक फैलता है।

संचरण: नोरोवायरस आमतौर पर तैयारी के दौरान दूषित भोजन या पानी से फैलता है। वे सतहों के संपर्क या किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क के माध्यम से भी प्रसारित हो सकते हैं।

लक्षण:

नोरोवायरस संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में उल्टी, दस्त, मतली, पेट में दर्द, बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द शामिल हैं। गंभीर मामलों में, द्रव हानि के कारण निर्जलीकरण हो सकता है।

उपचार:

वर्तमान में, नोरोवायरस को रोकने के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। उपचार मुख्य रूप से लक्षणों को कम करने और जलयोजन बनाए रखने पर केंद्रित है।

गांधी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ

संदर्भ: भारतीय नौसेना रंगभेद के खिलाफ महात्मा गांधी के 'सत्याग्रह' की 130वीं वर्षगांठ के अवसर पर डरबन में एक स्मारक कार्यक्रम में भाग ले रही है।

ऐतिहासिक महत्व:

वर्ष 1893 में डरबन में महात्मा गांधी का आगमन और नस्लीय भेदभाव के कारण पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उनका निष्कासन रंगभेद के खिलाफ उनकी लड़ाई की शुरुआत और सत्याग्रह के जन्म का प्रतीक है।

मान्यता: वर्ष 1997 में, पीटरमैरिट्जबर्ग की स्वतंत्रता को महात्मा गांधी को मरणोपरांत नेल्सन मंडेला द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था, जिसमें गांधी के बलिदान और दमन के प्रति समर्पण को मान्यता दी गई थी।

आजादी का अमृत महोत्सव:

आईएनएस (INS) त्रिशूल की डरबन यात्रा भारतीय नौसेना के आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव का हिस्सा है, जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने वाले महत्वपूर्ण क्षणों को सम्मानित किया जाता है।

इस स्मारक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की भागीदारी महात्मा गांधी की विरासत को श्रद्धांजलि देती है और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करती है।



Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR: 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



dhyeyaias.com